भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4313

29 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों का वर्गीकरण

4313. श्री आर.के.सिंह पटेल:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को छोटे, सीमांत, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों (बीपीएल) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित किसानों में वर्गीकृत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि भूमि का औसत आकार छोटा और सीमांत है और यह किसानों के लिए लाभकारी भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र से होने वाली आय 85 प्रतिशत किसानों के परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): कृषि संगणना में, परिचालन जोतों को निम्नानुसार पांच आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

क्रमांक	श्रेणी	आकार वर्ग
1.	सीमांत	1.00 हेक्टेयर से
2.	छोटा	1.00 - 2.00 हेक्टेयर
3.	अर्द्ध मध्यम	2.00 - 4.00 हेक्टेयर
4.	मध्यम	4.00 - 10.00 हेक्टेयर
5.	बड़ा	10.00 हेक्टेयर और उससे अधिक

(ख) और (ग): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, देश में भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर था। छोटे और सीमांत जोत की उपज में सुधार करने के लिए, सरकार आधुनिक तकनीकों और पद्धतियों जैसे बहु फसल, अंतरफसल और समेकित कृषि प्रणालियों अपनाने को बढ़ावा दे रही है। राज्यों के लिए विकसित समेकित कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल को संबंधित राज्य सरकार की पद्धतियों के पैकेज में शामिल किया गया है। इन्हें छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों के बीच किसान भागीदारी शोधन और समेकित कृषि प्रणाली के प्रदर्शन के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भी कृषि जोतों के उपज और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

(घ): छोटे और सीमांत किसानों के पारिश्रमिक को बढ़ाने के लिए, सरकार प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), परंपरागत कृषि विकास (पीकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत कार्यक्रम नीम लेपित यूरिया, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के संवर्धन हेतु योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम) का कार्यान्वयन, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करके ब्याज छूट योजना, कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

******